न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 143/2008

जयप्रकाश पुत्र सोनूराम जाति नायक निवासी 67 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर —अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।

—— रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू रा.अधि.1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 20.4.2007

उपस्थितिः—

श्री अजय तनेजा , अभिभाषक अपीलांट
श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 21.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट को उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 23.04.92 से चक लखाटिब्बा के मु.न. 116 की 3.163 है. भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा नजरसानी प्रा.पत्र पेश करने पर अधी.न्यायालय ने दिनांक 20.04.2007 को नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वकार कर अपीलांट से वर्तमान आरक्षित दर से निमयानुसार राशि वसूल करने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को विवादित भूमि नियमानुसार आवंटन हुआ था एवं वरवक्त आवंटन ही राशि ली जा सकती थी । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नजरसानी पेश करने पर अधी.न्यायालय ने बिना किसी आधार के नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्तमान आरक्षित दर से राशि वसूल करने के आदेश दिये है जबकि अपीलांट को वर्ष 1992 में पुख्ता आवंटन हुआ था

21/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

एवं उस समय की दर से ही राशि वसूल करने के आदेश दिये जाने चाहिए था । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय ने राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में नजरसानी प्रा.पत्र पेश होने पर नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जो आदेश दिये है वह उचित होने से अपील खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 20.04.2007 के विरूद्ध दिनांक 29.03.2008 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का अपीलांट को दिनांक 23.04.92 को आवंटन किया गया था । अपीलांट को हुए आवंटन के विरूद्ध नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश होने पर नजरसानी प्रार्थना पत्र के आदेश में यह अंकित किया है कि उपशासन सचिव राजस्थान सरकार राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के आदेश कमांक प 3 (70) उप/97 जयपुर दिनांक 27.12.04 से गंग कैनाल क्षेत्र में टी.सी से पुख्ता आवंटन संबंधी लम्बित 185 रिव्यु प्रकरणें के सम्बन्ध में बिन्दु सं0 1 से 4 के हिसाब से निर्णय करने के आदेश पारित किये गये है। जिसकी तारीख 15.5.1992 की जगह 15.09.1992 के संशोधन के आदेश दिनांक 26.08.2005 को दिये गये । बिन्दु सं.1 से 4 में किश्तों बाबत व तत्संबधी नियमों में पात्रता की जांच के आदेश है। आवंटी के द्वारा किश्तों की राशि जमा करवाई हुई है। आवंटी तत्संबधी नियमों के तहत 1960 का आरजी काश्त का सबूत पेश न करने के कारण पात्र नहीं हैं वर्तमान नियमों के तहत आवंटन का

21/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पात्र है। ऐसी स्थिति में वर्तमान आरक्षित दर से नियमानुसार राशि वसूल करने के जो आदेश दिये है। उसमें कोई त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर